संख्या-02/2018/101 ई-2/तेरह-2018-142/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 08 जनवरी,2018

विषय:-चीनी मिलों में उपलब्ध अवशेष आरक्षित शीरे की मात्रा को फ्री सेल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-74/दस-शीरा-189/फ्री सेल, 04 दिसम्बर,2017 और इस सम्बन्ध में दि0 01-01-2018 को अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न शीरा विचलन समिति की बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या-22 ई-2/तेरह-2018-142/2017 दिनांक 02 जनवरी,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में प्रेषित प्रस्ताव एवं अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित् शीरा विचलन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में वर्ष 2016-17 की उपलब्ध कुल 1,88,100.70 कुण्टल अवशेष आरक्षित शीरे की मात्रा को फ्री सेल/स्वयं के उपभोग हेतु परिवर्तित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रदान की जाती है:-

क्र0	इकाई का नाम	उपलब्ध शीरे की मात्रा
1-	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल, बागपत।	101 कुण्टल
2-	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल, ननौता।	2,607 कुण्टल
3-	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल, कायमगंज।	11,008 कुण्टल
4-	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर।	1,323 कुण्टल
5-	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर	91 कुण्टल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6-	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल, पूरनपुर।	3,498 कुण्टल
7-	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल, बदायूँ।	579 कुण्टल
8-	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल, नानपारा।	553 कुण्टल
9-	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल, स्नेहरोड।	1,061 कुण्टल
10-	उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर।	6,392 कुण्टल
11-	मे0 अनामिका चीनी मिल, बुलन्दशहर।	10,378.30 कुण्टल
12-	मे0 दौराला शुगर वर्क्स लि0, मेरठ।	1,50,509.40 कुण्टल

3- प्रदेश की अन्य चीनी मिलों में भी अवशेष आरक्षित शीरे का स्टाक उपलब्ध है, जिसका निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाना आवश्यक है, जिससे चीनी मिलों में शीरे के भण्डारण की समस्या उत्पन्न न होने पाये। अत: प्रदेश की चीनी मिलों में उपलब्ध अवशेष आरक्षित शीरे की मात्रा को फ्री सेल/स्वयं के उपभोग हेतु परिवर्तित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त मात्रा की भरपाई शीरा सत्र 2017-18 के अनारक्षित अंश से करेंगी तथा यह मात्रा शीरा नीति 2017-18 हेतु देय आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त होगी। उक्त के अलावा यह भी प्रतिबंध होगा कि चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 28-02-2018 को उस तिथि के सापेक्ष शीरा वर्ष 2017-18 हेतु आगणित आरक्षित शीरे की मात्रा के साथ-साथ गतवर्ष के अग्रेनीत आरक्षित शीरे की कुल देयता में से शीरा वर्ष 2017-18 में सम्भरित आरक्षित शीरे की मात्रा घटाते हुये अवशेष देयता के बराबर शीरे का स्टाक मिलों के पास उपलब्ध रहे।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।